परिशिष्ट

कोर आईटी एप्लिकेशन और उसके फक्शनलिटिज

ए. निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी)

एएसटी 1994 में अवधारित सबसे महत्वपूर्ण एवं पुराना एप्लिकेशन है। सॉफ्टवेयर मोड्यूल जिसे 1997 में रिडिजाइन/अपटडेटेड और जुलाई 1999 में स्वीकार किया गया था । इसे निर्धारण कार्यों, कर विवरणियों की प्राप्ति से आरम्भ धारा 143(1) के तहत प्रारम्भिक जाँच संवीक्षा निर्धारण, परिशोधन, पुनः निर्धारण, संशोधन, अपील के प्रभाव कार्यान्वयन, शास्ति एवं अभियोजन के लिए कार्यवाही, मांग और प्रतिदाय का सृजन, बाद के उपयोग के लिए निर्धारणों के इतिहास की रिकार्डिंग आदि का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। एएसटी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:

विवरणी प्राप्ति रजिस्टर	• यूनिक नम्बर के साथ आरआरआर का सृजन • पावती का क्षेत्राधिकार वार जेनरेशन • बैच प्रोसेसिंग के लिए बंडल का सृजन
रिटर्न की प्रोसेसिंग	• गणना की जाँच • कर एवं ब्याज की संगणना में गलती • पूर्वप्रदत्त करो के संदर्भ में भुगतान बेमेल
नियमित निर्धारण	• चयनित मामले एवं सूचनाओं की जेनरेट सूची • कर गणना एवं ब्याज और जेनरेट डिमांड सूचना वापसी बाउचर • सभी समायोजनी/पारवर्धन की ट्रेक हिस्ट्री
अपील	• अपील की अनुवीक्षण एवं ट्रेक प्रगति • अपीलो का निर्धारण • आउटकम पर बनाए गए आंकड़े
परिशोधन एवं पुनरीक्षण	• धारा 154/155 परिशोधन के अन्तर्गत सभी परिशोधनों का समर्थन • धारा 263/264 के अन्तर्गत पुनरीक्षण का समथच
शास्ति कार्यवाही और अधित्याग	• प्रारम्भ अरना और ट्रैक दंड कार्यवाही • अपील परिशोधन, परिवर्तन एवं पुनरीक्षण के कारण दंड के उद्ग्रहण में ट्रेक विभिन्नता
क्वेरीज	• आकलन कार्यवाही, अपील, पुनरीक्षण और परिशोधन पर प्रश्नचिन्हों के समर्थन • पैन दिए गए के लिए व्यापक प्रश्न चिन्हों हेतु प्रदान करना
आउटपुट	• बेमेल सूची • केन्द्रीय कार्य योजना (सीएपी)। और II प्रतिवेदन • नॉन फाईलर की सूची

बी. स्रोत पर इलैक्ट्रानिक कर कटौती प्रणाली (ईटीडीएस)

" स्रोत पर कर कटौती के विवरण की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग प्रणाली 2003 " अगस्त 2003 में जबकि स्रोत पर संग्रहित कर के विवरण की इलैक्ट्रनिक फाइलिंग प्रणाली 2005 " मार्च 2005 में अधिसूचित की गई थी। वित्त अधिनियम 2003 में कार्पोरेटस, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कटौतीकर्ताओं के द्वारा टीडीएस विवरण की ई-फाईलिंग अनिवार्य की गई । बाद में यह धारा 44 एबी के तहत सभी कटौतीकर्ताओं और सभी कटौतीकर्ताओं जिनके पास 20 या इससे अधिक के करदाता हैं, के लिए अनिवार्य की गई ।

ई-टीडीएस मोडयूल बैच मोड में विवरणियों का सत्यापन, गणना त्रुटि और लुप्त जानकारी की जाँच, टीडीएस की अदायगी की चुक एवं बेमेल, बेमेल रिपोर्ट जेनरेट करना, कम भुगतान,भुगतान न करने की चूक इत्यादि का समर्थन करता है। यह परिकल्पित किया गया था कि ई-टीडीएस एप्लिकेशन ई-टीडीएस विवरणों के प्रक्रियाकरण टीडीएस के गैर जमा से संबंधित धोखाधड़ी की कटौती और टीडीएस के बोगस क्रेडिट का समर्थन करता है। सूचना के प्रमाणीकरण पर टीडीएस के लिए केडिट के प्रदान करने से बोगस टीडीएस प्रमाणपत्र के कारण रिसाव को रोकने की उम्मीद की गई थी।

सी. ऑनलाइन टैक्स एकउंटिंग सिस्टम (ओल्टास)

ओल्टास एक ऑनलाइन मीनू और विडांज आधारित सॉफ्टवेयर है। प्रयोगकर्ता स्क्रीन आधारित फंक्शन का प्रयोग करेगे और टूल बार, बटनस, चेक बाक्सेस, सूची की मद और रेडियो ग्रुप जैसे जीयुआई सुविधाओं का प्रयोग करते हुए स्क्रीन के पर नेविगेट करेंगे। ओल्टास फंक्शन के साथ-साथ सार की प्रवृष्टि, मुख्य स्क्रौल, और चालान, पहचान, लुप्त/अधिशेष चालानों के मिलान एवं प्रविष्टि, आउटस्टेशन सीटीयुज से/ को आवक और जावक चालानों की हेंडलिंग, चालान की पोस्टिंग और चालानों की ऑनलाइन संशोधन, दैनिक संग्रहण रजिस्टर जैसी रिपोर्टो को जेनरेट करता है, जेडएओ की संग्रहण रिपोर्ट, शीर्ष वार लेखा रिपोर्ट, चालान प्रिंट रिपोर्ट संग्रहण रिपोर्ट, त्रुटि रिपोर्ट जनरेट करता है।

डी. व्यक्तिगत चालू खाता लेखा प्रणाली (इरला)

इरला प्रणाली समेकित ढंग से और एकल अवस्थिति में एक निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई सभी माँगों एवं किए गए संग्रहण के रिकॉर्डों को रखने के लिए विकसित की गई। मैनुअल सिस्टम में, निर्धारण अधिकारी माँग एवं संग्रहण रजिस्टर (डीएण्डसीआर) रखता है। इस रजिस्टर में सार निर्धारण, संवीक्षा निर्धारण, चालू निर्धारण् और धारा 147 के तहत निर्धारण तथा कर अदायगी और प्रतिदाय का विवरण शामिल है। यह रजिस्टर वार्षिक रूप में तैयार किया जाता है। डीएण्डसीआर की सभी असंग्रहीत मांगों को बकाया डीएण्डसीआर के सम्बन्ध में अग्रेनयन किया जाता है। इरला सिस्टम में डीएण्डसीआर, एडीएण्डसीआर, स्थगन रजिस्टर, किस्त रजिस्टर, बट्टा खाता रजिस्टर आदि जैसे उपयोग में आने वाले अधिकांश रजिस्टरों को हटाने का प्रयोजन था। इरला ने भी धारा 220(2) के तहत ब्याज की गणना की सुविधा प्रदान की।